झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग।

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (GST) से संबंधित आवश्यक सूचना
–: झारखण्ड में GST पंजीयन प्रक्रिया :–
पंजीयन अवधि 30.11.2016 से 15.12.2016

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत मौजूदा सभी PAN Validated व्यवसायी कृपया ध्यान दें।

दिनांक 01.04.2017 से प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली लागू होनी है। सभी मौजूदा निबंधित व्यवसायियों (वैट/मनोरंजन/विलासिता कर) को GST के अन्तर्गत migrate किया जाना है। GST में निबंधित किये जाने के पूर्व सभी वर्तमान निबंधित व्यवसायियों को स्वयं ही GST के अधीन पंजीयन कराना अनिवार्य है। **GSTN द्वारा निर्धारित समय के अनुसार पंजीयन कार्य केवल दिनांक 30.11.2016 से दिनांक 15.12.2016 के बीच ही अनिवार्य रूप से सम्पन्न किया जाना है।** GST के अन्तर्गत सभी पंजीयन कार्य Online किया जाना है अतः पंजीयन भी Online ही होगा।

यह कार्य बहुत ही सुगम, सरल एवं आसान है।

पहले चरण में व्यवसायी अपने वर्त्तमान वैट पोर्टल पर ID एवं Password से Login करेगें। Login करने के उपरान्त एक पॉप अप आयेगा। पॉप अप में GSTN Provisional ID एवं Password Show करेगा।

दूसरे चरण में उक्त यूजर आई०डी० (Provisional ID) एवं पासवर्ड से www.gst.gov.in में New User login पर क्लिक करें। इसके पश्चात निबंधित व्यवसायियों को अपना मोबाईल न0 एवं ई–मेल आई डी Enter करना होगा इसके बाद दो (Two) One Time Password (OTP) एक ई–मेल के लिए OTP और एक मोबाईल के लिए OTP की सूचना ई–मेल और मोबाईल पर आएगी। इस OTP के माध्यम से व्यवसायी अपना www.gst.gov.in में username और Password Create कर लेगें।

तीसरे चरण में व्यवसायी, दुसरे चरण में Created User ID Password से www.gst.gov.in में Existing user login Button पर Click करके Login करेगें और Enrollment Application Fill up करेगें। Enrollment Application में प्रदर्शित 8 different Tabs Display होगें। सभी Tabs को भरकर Save and Continue बटन पर क्लिक करेगें।

इसे सफलतापूर्वक Submit होने के उपरांत आपको एक यूनिक आवेदन रेफेरेन्स संख्या (ARN) आपके माबाईल एवं ई–मेल आई0डी पर प्राप्त हो जाएगा तथा पोर्टल पर आपका स्टेटस ''माइग्रेटेड'' के रूप में प्रदर्शित होगा।

कृपया सभी कॉलम सावधानी पूर्वक भरें, एवं उसे अच्छी तरह जांच कर लें और तभी Submit का बटन दबाएँ, क्योंकि कोई भी संशोधन 01.04.2017 के पूर्व संभव नहीं हो पाएगा।

भविष्य में जी0एस0टी से संपर्क इसी ARN संख्या से स्थापित किया जा सकेगा। अतः इसे सुरक्षित रखें।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में अपने संबंधित अंचल कार्यालय अथवा वाणिज्य कर **हेल्पडेस्क नं0 –0651–6600500, helpdesk@jharkhandcomtax.gov.in** (Ranchi) एवं **हेल्पडेस्क नं0 0124-4688999, helpdesk@gst.gov.in (New Delhi)** से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

ह0/–
(रंजन कुमार सिन्हा)
वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।